

म.प्र. शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग

क्र. / ईएमआरएस / 26 / 2015 /
प्रति

भोपाल दिनांक

कलेक्टर,
जिला-सीहोर, धार, सतना, अलीराजपुर एवं बडवानी
मध्यप्रदेश

विषय:-आदिवासी क्षेत्रों के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन ।

—0—

भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अंतर्गत निम्नानुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं । स्वीकृत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के निम्नानुसार जिलों में शिक्षा सत्र वर्ष 2014-15 से कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की शिक्षा हेतु समिति के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया गया है । वर्ष 2014-15 में स्वीकृत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

क्र	विद्यालय का स्थान	जिला	स्वीकृत
1.	बुधनी	सीहोर	नवीन
2.	धार	धार	नवीन
3.	मैहर	सतना	नवीन
4.	चन्द्रशेखर आजाद नगर अलीराजपुर	अलीराजपुर	उन्नयन
5.	संघवा	बडवानी	उन्नयन

उक्त विशिष्ट विद्यालय पूर्णतः आवासीय विद्यालय रहेंगे तथा इनका नियंत्रण म.प्र. ट्रायबल वेलफेयर रिसर्चिणल एण्ड आश्रम ऐजुकेशनल इन्स्टीट्यूशंस सोसायटी भोपाल अंतर्गत रहेगा । विद्यालयों के संचालन व नियंत्रण हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है :-

1. कलेक्टर
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
3. सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
4. जिला शिक्षा अधिकारी
5. अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. ✖
6. अधीक्षण यंत्री / डिविजलन इंजी. एम.पी.ई.बी.
7. कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
9. अधीक्षण यंत्री, सिचाई विभाग •
10. जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र
11. नवांनय विद्यालय / केन्द्रीय विद्यालय के प्राचार्य
12. संस्था के प्राचार्य

- अध्यक्ष
- सदस्य
- सदस्य ✓
- सदस्य ✓
- सदस्य ✓
- सदस्य
- सदस्य ✓
- सदस्य ✓
- सदस्य
- सदस्य ✓
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य सचिव

उक्त समिति के निम्नलिखित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व होंगे :-

1. संस्था के भवन के निर्माण की व्यवस्था एवं निर्माण कार्य की गुणवत्ता
2. संस्था का संचालन / पर्यवेक्षण / बुनियादी आवश्यकताओं की सुनिश्चितता ।
3. संस्था के संचालन हेतु आवश्यक उपाय तथा अन्य विभागों से समन्वय ।
4. संस्था में विद्यार्थियों के प्रवेश की व्यवस्था तथा शैक्षणिक नवाचार ।
5. संस्था के संचालन हेतु प्राप्त राशि का नियमानुसार उपयोग / मूल्यांकन ।